तत्काल

संख्या. 4-2(12)/2020-डी. डी -I
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग
5वां तल, दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ.काम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दिनांक 04.04.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अर्थात 01.04.2022 से 31.03.2026 तक दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना (एडिप) को जारी रखने के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग द्वारा क्रियान्वित दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता योजना (एडिप योजना) वर्ष 1981 से परिचालन में है। योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत, वैज्ञानिक आधार पर निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र एवं उपकरणों के क्रय में सहायता प्रदान करना है जिससे दिव्यांगता के प्रभावों को कम करके वे अपने शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में वृद्धि कर सकें और अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ा सके। योजना के अंतर्गत, दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं उपकरण उनकी स्वतंत्र कार्य प्रणाली में सुधार तथा दिव्यांगता को सीमित करने एवं अन्य दिव्यांगताओं के प्रकट होने से रोकने के उद्देश्य से प्रदान किये जाते है।

2. दिनांक 01.02.2022 को कार्यालय ज्ञापन. संख्या 01(01)/पीएफसी-I/2022 के माध्यम से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा (i) पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अर्थात् 01.04.2022 से 31.03.2026 तक एडिप योजना को जारी रखने और (ii) योजना में कुछ संशोधनों को अनुमोदित किया है।

3. संशोधित योजना की प्रति सूचनार्थ एवं सर्व सम्बंधित द्वारा उपयुक्त कार्यवाही हेतु सलग्न है। संशोधित योजना की प्रति विभाग की वेबसाइट (www.disabilityaffairs.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

(एस.के महतो)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-24362127

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी प्रधान सचिव/सचिव समाज कल्याण/सामाजिक न्याय विभाग-नाम से
इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाय तथा सभी हितधारकों को अवगत कराया जाय।

---2

2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एलिम्को / निदेशक, सभी राष्ट्रीय संस्थानों / सभी समग्र क्षेत्रीय केंद्रों / सभी कार्यान्वयन एजेंसियों – नामतः

प्रतिलिपि:

1. माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निजी सचिव
2. माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निजी सचिव
3. सचिव, दिव्यान्जन सशक्तिकरण विभाग / सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (आर.के.वाई), दिव्यान्जन सशक्तिकरण विभाग के निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निजी सचिव
6. उप सचिव (बी.ई.सी), दिव्यान्जन सशक्तिकरण विभाग

अन्य प्रतिलिपि:

अवर सचिव (प्रशासन), दिव्यान्जन सशक्तिकरण विभाग को विभाग की वेबसाइट पर दर्शाने हेतु

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना)

(1 अप्रैल, 2022 से लागू)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली-110 003

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना)

1.0 परिचय

दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रक्रिया में पहला कदम उपयुक्त सहायक यंत्रों/उपकरणों का प्रावधान करना है। सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जो उनके समग्र पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं । जनगणना, 2011 के अनुसार में देश में 2.68 करोड़ दिव्यांग हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में 14 साल से कम उम्र के बच्चे विलंबित विकास का सामना करते हैं। उनमें से कई बौद्धिक दिव्यांग और प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित हैं और अपने देखभाल और आत्मनिर्भर जीवन की क्षमता प्राप्त करने के लिए सहायक यंत्र/ उपकरणों की आवश्यकता होती है । आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग के साथ, कई सहायक यंत्र तैयार हुए हैं जो दिव्यांगता के प्रभाव को कम कर सकते हैं और दिव्यांगजनों की समग्र क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हालांकि, दिव्यांगजनों का एक बड़ा हिस्सा निम्न आय वर्ग से है और इन उपकरणों के लाभों से वंचित हैं क्योंकि वे इन उपकरणों को प्राप्त करने के लिए धन जुटाने और परिणामस्वरूप एक सम्मानजनक जीवन जीने में असमर्थ हैं ।

1.01. दिव्यांगजनों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के आलोक में, उस अवधि के दौरान जब इन मौद्रिक सीमाओं में संशोधन नहीं किया गया, लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सहायता की प्रमात्रा, लागत, सहायक यंत्र और उपकरण की सीमा और परिवार की आय की सीमा को बढ़ाकर इस योजना को संशोधित रूप में जारी रखने का निर्णय लिया गया है । इसके अलावा, संशोधित योजना लाभार्थियों के कवरेज और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूलित होने के मामले में व्यापक है ।

2.0 उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगों को उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ, आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराना है, जिससे दिव्यांगता के प्रभावों को कम किया जा सके और उनकी शैक्षिक और आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके । इस योजना के तहत आपूर्ति किए गए सहायक यंत्र और उपकरणों का उचित प्रमाणीकरण होना चाहिए।

3.0 परिभाषाएँ

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम(आरपीडब्ल्यूडी), 2016 और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में दी गई विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता की परिभाषाएं।

4.0 कार्य-क्षेत्र

इस योजना को पैरा 5.0 में सूचीबद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। एजेंसियों को ऐसे मानक सहायक यंत्र और उपकरणों की खरीद, निर्माण और वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। कार्यान्वयन एजेंसियां इस योजना के तहत वितरित सहायक यंत्र और उपकरणों की फिटिंग और पोस्ट-फिटिंग देखभाल का ध्यान रखेंगी या इसके लिए उचित व्यवस्था करेंगी। वे दिव्यांगजनों को ऐसे सहायक यंत्र और उपकरणों के वितरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे। इसके अलावा वितरण शिविर से पहले वे जिलाधिकारी, बीडीओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राज्य सरकार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को शिविर की तारीख़ और स्थान के बारे में जानकारी देंगे। शिविरों के बाद, वे लाभार्थियों की सूची और सहायता यंत्र एवं सहायक उपकरणों का विवरण योजना के प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर अपलोड करेंगे। लाभार्थियों की सूची को कार्यान्वयन एजेंसियों की वेबसाइट पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

4.01 इस योजना में निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार सहायक यंत्र और उपकरणों के फिटमेंट से पहले आवश्यक सर्जिकल सुधार और उपचार भी शामिल होगा :

(i) वाक् और श्रवण बाधित के लिए 1500 रुपये।

(ii) दृष्टिबाधितों के लिए 3,000 रुपये।

(iii) ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड के लिए 15,000 रुपये।

5.0 योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों की पात्रता

निम्नलिखित एजेंसियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन इस योजना को लागू करने के पात्र हैं:

i. सोसायटी और उनकी शाखाएं यदि कोई हो, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अलग से पंजीकृत।
ii. पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट।
iii. भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी और जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अन्य स्वायत्त निकाय।
iv. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थान, सीआरसी, आरसी, डीडीआरसी, नेशनल ट्रस्ट, एलिम्को।
v. राष्ट्रीय/राज्य दिव्यांगजन विकास निगम।
vi. स्थानीय निकाय - जिला परिषद, नगर पालिकाएं, जिला स्वायत्त विकास परिषद और पंचायतें आदि।
vii. राज्य/यूटी/केंद्र सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अलग-अलग संस्थाओं के रूप में पंजीकृत अस्पताल।
viii. नेहरू युवा केंद्र।
ix. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयुक्त माना गया कोई भी अन्य संगठन ।

5.01 इस योजना के तहत सहायता अनुदान वाणिज्यिक उत्पादन/ या सहायक यंत्रों/उपकरणों की आपूर्ति के लिए नहीं दिए जायेंगे।

5.02 नई कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुमोदन प्रदान करते समय, उन एजेंसियों को वरीयता दी जाएगी, जो-

i. जो पहचान, आवश्यक सहायक यंत्रों/उपकरणों के प्रिस्क्रिप्शन, फिटमेंट और लाभार्थियों के साथ-साथ सहायक यंत्रों /उपकरणों की पोस्ट-फिटमेंट देखभाल के लिए योग्य पेशेवर कर्मचारियों (आरसीआइ द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से) के रूप में व्यावसायिक /तकनीकी विशेषज्ञ को नियोजित करते हैं ।
ii. जिनके पास एडिप योजना के तहत दिव्यांग को दिए जाने वाले सहायक यंत्रों /उपकरण के निर्माण, फिटमेंट और रखरखाव के लिए मशीनरी/उपकरण के रूप में अवसंरचना है और जिनके पास आईएसआई मानकों/आईएसओ प्रमाणन वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता है ।

6.0 <u>लाभार्थियों की पात्रता</u>

शर्तें :-

i. किसी भी आयु का भारतीय नागरिक।
ii. 40% दिव्यांगता का प्रमाणपत्र *(बेंचमार्क दिव्यांगता)* रखता हो ।

iii. सभी स्रोतों से मासिक आय 30,000/- रुपये प्रति माह से अधिक न हो ।

iv. आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की अधिकतम आय रु. 30,000/- प्रति माह।

v. पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी स्रोत से इसी उद्देश्य के लिए सहायता प्राप्त न किया हो । हालांकि, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, सहायता का न्यूनतम समय एक वर्ष है।

नोट:-(क): राजस्व एजेंसियों से आय प्रमाण पत्र /बीपीएल कार्ड/मनरेगा कार्ड/दिव्यांगता पेंशन कार्ड/एमपी/एमएलए/काउंसलर/ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र, जिसके न होने पर पीडब्ल्यूडी को सहायक यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के मार्फ़त नोटराइज्ड एफिडेविट को स्वीकार किया जा सकता है। अनाथालयों एवं हाफ-वे होम्स आदि में रहने वाले लाभार्थियों का आय प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर अथवा संबंधित संस्था प्रमुख के प्रमाणीकरण पर स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे लाभार्थियों को इस योजना के तहत केवल एलिम्को द्वारा सहायता यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

(ख) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(ख) (i) एडिप-एसएसए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी किसी (क) स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य (ख) सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के सरकारी डॉक्टर (ग) स्थानीय एसएसए प्राधिकरण और (घ) एलिम्को के प्रतिनिधि की होगी।

(ख)(ii) 40% से कम दिव्यांगता के मामले में, सीडब्ल्यूएसएन को उपरोक्त उप पैरा (ख) (आई) में संयुक्त प्रमाणीकरण के आधार पर सहायता यंत्र और सहायक उपकरण जारी किए जा सकते हैं।

(ख) (iii) 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र या 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकासात्मक विलंब प्रमाण पत्र बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताएं वाले व्यक्तियों को एडिप योजना के तहत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टीएलएम किट के वितरण के लिए विचार किया जा सकता है। हालांकि, एडिप योजना में निर्धारित न्यूनतम 40% दिव्यांगता की शर्त को कम नहीं किया गया है।

7.0 <u>सहायता की प्रमात्रा</u>

(i) 15,000/-रुपये तक की सहायता यंत्रों /उपकरणों के लिए।

- योजना के तहत पूर्ण वित्तीय सहायता।

(ii) 15,000/- से रु. 30000/-रुपये के बीच की लागत वाली सहायता यंत्रों /उपकरणों के लिए।

-15000/- रूपये तक वित्तीय सहायता।

(iii) इसके अलावा , इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र, कॉक्लियर इम्प्लांट एवं मोटरयुक्त तिपहिया साइकिलें को छोड़कर, 30001 रुपए से अधिक लागत वाले सभी महंगे यंत्र जो योजना के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र तथा आय सीमा की अधीन होंगी, की सूची तैयार की जाएगी। भारत सरकार सिमित द्वारा इस तरह सूचीबद्ध किए गए यंत्रो की लागत की 50 % राशि का वहन करेगी और शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठन या किसी अन्य एजेंसी या संबंधित लाभार्थी द्वारा किया जायेगा, जो मामला-दर- मामला आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूर्व में प्राप्त अनुमोदन के अधीन होगा ; जिसकी राशि इस योजना के तहत बजट की कुल राशि का 20 % तक सीमित होगी।

<u>नोट</u> :- सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों को आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु मदों का निर्धारण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया जायेगा।

(iv) <u>कॉकलियर इ म्प्लांट</u>

कॉकलियर इम्प्लांट और पोस्ट ऑपरेटिव चिकित्सा और श्रवण बाधित बच्चों के पुनर्वास के लिए 1 से 5 वर्ष के बीच की आयु वाले प्री-लिंगुअल हियरिंग लॉस वाले बच्चों के मामले में रुपये 7.00 लाख प्रति यूनिट की सीमा तथा 5 से 18 वर्ष के बीच वाले अक्वायर्ड हियरिंग लॉस वाले बच्चों के मामले में 6.00 लाख (सरकार द्वारा वहन किया जाएगा) । दोनों मामलों में वित्तीय सहायता में प्रत्यारोपण, सर्जरी, चिकित्सा, मैपिंग, यात्रा और पूर्व-प्रत्यारोपण मूल्यांकन की लागत को शामिल होगी ।

अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), (एवाईजेएनआईएसएचडी) मुंबई, कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी के लिए नोडल एजेंसी होगी । दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों में सर्जरी की जाएगी। कॉक्लियर इंप्लांट डिवाइस कोर कमिटी द्वारा अनुशंसित विनिर्देशों अनुसार आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलिम्को), कानपुर द्वारा खरीदा जाएगा ।

नोट:- लाभार्थियों को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा।

7.01 सहायता राशि इस प्रकार होगी:-

कुल आय	सहायता की राशि
i. 22,500/- प्रति माह रुपये तक	i. सहायता यंत्र/उपकरण की पूरी लागत
ii. 22,501/- से रु. 30,000/- रुपये प्रति माह	ii. सहायता यंत्र/उपकरण की लागत का 50%

7.02 रेल किराए या बस किराए के रूप में यात्रा लागत दिव्यांगजनों और एक एस्कॉर्ट के लिए अलग से स्वीकार्य होगी जो 250/- रुपये प्रति व्यक्ति की सीमा के अध्यधीन होगा, चाहे वह केंद्र में और सहायता यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण शिविर में भाग लेने के लिए कितनी भी बार यात्रा करें। लाभार्थी को अपने निवास स्थान के निकटतम पुनर्वास केंद्र में उपस्थित होना चाहिए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर जहां उसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भीतर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होने तक क्षेत्र से बाहर यात्रा करने के लिए यात्रा लागत की अनुमति दी जा सकती है।

7.03 इसके अलावा, अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए प्रति दिन 100/- रुपये की दर से बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय स्वीकार्य होगा, केवल उन रोगियों के लिए जिनकी कुल आय 22,500/- रुपये प्रति माह तक है और परिचारक / एस्कॉर्ट के लिए इसकी अनुमति होगी । बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय निम्नलिखित के लिए स्वीकार्य होंगे: -

i. सहायता यंत्र और सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए शिविर में भाग लेना।
ii. **लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति:**

क. सुधारात्मक / रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी

ख. कृत्रिम अंग/कैलिपर लगाने के लिए ठहरने की आवश्यकता वाले मामले

iii. **श्रवण बाधित व्यक्ति:** ऐसे मामले जिनमें ईयर मोल्ड फेब्रिकेशन/फिटमेंट के लिए ठहरने की आवश्यकता है

कार्यान्वयन एजेंसियां, जहां तक संभव हो, अस्पतालों से सम्बद्ध धर्मशालाओं में उपलब्ध बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधाओं का लाभ उठाएंगी।

8.0 सहायक यंत्र /उपकरणों के प्रकार

प्रत्येक प्रकार की दिव्यांगता के लिए निम्नलिखित सहायक यंत्र और उपकरणों की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किसी अन्य मद की भी अनुमति होगी।

8.01 लोकोमोटर दिव्यांग व्यक्ति

क) समय-समय पर विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अनुशंसित सभी प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक उपकरण, गतिशीलता सहायता, सर्जिकल फुटवियर, एमसीआर चप्पल, एडीएल (दैनिक जीवन की गतिविधि) के लिए सभी प्रकार के उपकरण ।

ख) हाई एंड प्रोस्थेसिस :-

80% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए हाई एंड प्रोस्थेसिस (घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर, कोहनी के नीचे और कोहनी के ऊपर) । सब्सिडी की सीमा 30,000/- रुपये होगी।

ग) मोटरयुक्त तिपहिया साइकिलें और मोटरयुक्त व्हीलचेयर उन गंभीर लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हेमिपेलिजिया और ऐसी ही स्थितियों वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, जिनका या तो तीन/चार अंग या शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से दिव्यांग है। 80% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति मोटरयुक्त ट्राइसाइकिल और मोटरयुक्त व्हीलचेयर के लिए सहायता के पात्र होंगे। अधिकतम सब्सिडी 50,000/- रुपये होगी। यह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पांच वर्ष में एक बार प्रदान किया जाएगा । मानसिक रूप से दिव्यांग 16 वर्ष और उससे अधिक आयु की गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्ति मोटरयुक्त ट्राइसाइकिल और व्हील चेयर के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि इससे उन्हें गंभीर दुर्घटना/शारीरिक क्षति का खतरा है। मोटरयुक्त ट्राइसाइकिलों के वितरण के लिए प्रदान की जाने वाली अधिकतम सब्सिडी के भीतर, वार्षिक विशिष्ट सीमा एक समिति द्वारा तय की जाएगी जिसमें डीईपीडब्ल्यूडी, एलिम्को और यदि आवश्यक हो, अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे ।

8.02 दृष्टिबाधित व्यक्ति

क. 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पांच साल में एक बार सुगम्य मोबाइल फोन, तथा स्कूल जाने वाले दिव्यांग छात्रों (कक्षा 10 वीं और उससे ऊपर) के लिए 10 साल में एक बार लैपटॉप, ब्रेल नोट टेकर और ब्रेलियर । तथापि, योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की सीमा पैरा-7.0 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी ।

ख. अधिगम उपकरण।

ग. बधिर- नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए टेलीफोन के लिए संचार उपकरण, ब्रेल संलग्नक ।

घ. कम दृष्टि के लिय सहायक यंत्र ।

ङ. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या सेरेब्रल पाल्सी के साथ दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष गतिशीलता सहायता जैसे एडाप्टेड वॉकर ।

च. विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर यथा अनुशंसित कोई भी उपयुक्त सहायक यंत्र और सहायक उपकरण ।

8.03 श्रवण बाधित व्यक्ति

क. विभिन्न प्रकार के श्रवण यंत्र, जिनमें बीटीई आदि शामिल हैं।

ख. शैक्षिक किट ।

ग. सहायक और अलार्म डिवाइस ।

घ. विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर यथा अनुशंसित कोई भी उपयुक्त सहायता और सहायक उपकरण।

8.04 बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग व्यक्ति

क. शिक्षण और अधिगम सामग्री (टीएलएम) किट।

ख. बहु संवेदी समावेशी शिक्षा विकास (एमएसआईईडी) किट।

ग. विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझाव के अनुसार कोई उपयुक्त उपकरण/किट/शिक्षण सामग्री।

8.05 बहु दिव्यांगता

विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझाव के अनुसार कोई उपयुक्त उपकरण ।

8.06 कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति

i. कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों के लिए सहायक दैनिक जीवन किट (एडीएल) ।

ii. विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय दिए गए सुझाव के अनुसार कोई उपयुक्त उपकरण।

8.07 दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में शामिल की गई नई दिव्यांगताएं

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में शामिल की गई नई दिव्यांगताओं के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई भी उपयुक्त सहायक यंत्र और सहायक उपकरण ।

8.08 सहायक यंत्रों/उपकरणों का आवधिक पुनरीक्षण

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आर्थिक मामलों की व्यय वित्त समिति/कैबिनेट समिति के अनुमोदन के बिना ही , निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर सहायक उपकरणों की सूची को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। विभाग योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में आगे और भी दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

9.0 प्रशासनिक व्यय

योजना के तहत बजट का 1% योजना के बारे में सूचना, शिक्षा और संचार प्रदान करने, कॉमन सर्विस सेंटर से लाभार्थियों के पंजीकरण की लगत , मोबाइल एप्प विकसित करने की लागत, तृतीय पक्ष मूल्याङ्कन, एमआईएस एडिप पोर्टल पर होने वाला व्यय और योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए परामर्शदाताओं/तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति के लिए उपयोग किया जायेगा ।

10.0. लाभार्थियों की पहचान / सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण:-

i. **शिविर गतिविधि के माध्यम से:-** कार्यान्वयन एजेंसियां जिला स्तर पर शिविर मोड में लाभार्थियों का आकलन करेंगी, इसके बाद वितरण शिविर लगाए जाएंगे । कार्यान्वयन एजेंसियों को अगम्य और असेवित क्षेत्रों के कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है । भावी आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा।

ii. मुख्यालय गतिविधि के माध्यम से:- राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिमको/डीडीआरसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां उनके मुख्यालय या अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों से संपर्क करने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुदानों का उपयोग करेंगी ।

कुछ सुस्थापित गैर-सरकारी संगठनों में ऐसे केन्द्र/उपकेंद्र हैं जो ओपीडी गतिविधियां करते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुधारात्मक सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, उनकी मुख्यालय गतिविधियों के लिए भी सहायता अनुदान जारी किया जा सकता है।

iii. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक एसपीवी, कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के माध्यम से: विभाग एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों और उपकरणों की आवश्यकता वाले लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए ब्लॉक, तालुका, ग्राम पंचायत स्तर पर देशभर में कार्यरत सीएससी के साथ एमओयू करेगा। इस प्रणाली के तहत लाभार्थी को देश भर में किसी भी सीएससी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण आदि आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत किया जाएगा। इन दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा। सीएससी द्वारा पंजीकृत लाभार्थियों का डाटा पंजीकृत लाभार्थी के स्थान (लोकेशन) के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों यथा, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को), विभाग के अधीन एक सीपीएसई, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों को हस्तांतरित किया जाएगा। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी आरसीआई अनुमोदित पीएंडओ और अन्य व्यावसायिकों के माध्यम से मूल्यांकन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी और ऐसे पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण करेगी।

iv. मोबाइल ऐप के माध्यम से:- सहायक यंत्रों और उपकरणों को प्राप्त करने में लाभार्थियों की सुविधा के लिए, विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जो लाभार्थियों को नए सहायक उपकरणों (नए पंजीकरण) या मौजूदा उपकरणों (मौजूदा उपयोगकर्ता) की मरम्मत के लिए अनुरोध करने में सक्षम बनाएगा। ऐप पर प्राप्त अनुरोधों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में एकत्र किया जाएगा, और लाभार्थी के निवास के निकटतम अवस्थित कार्यान्वयन एजेंसी को भेजा जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी मूल्यांकन के समय लाभार्थी से एडिप योजना में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगी और ऐसे पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित करेगी।

v. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) / एडिप वेब पोर्टल के माध्यम से: पोर्टल पर इस प्रकार के पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर यह पोर्टल पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन अनुरोध के लिए दिव्यांगों को सुविधा प्रदान करेगा।

11.0 कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया।

संगठन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-I और II) में अपना आवेदन जमा करेंगे। गैर सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संगठन द्वारा मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल (www.grants-msje.gov.in) पर ही आवेदन किया जायेगा।

आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचना के साथ (विधिवत स्व-अभिप्रमाणित) होना चाहिए:

क. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51/52 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

ख. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत तथा उनकी संस्थाएं, यदि कोई हो, अथवा चैरीटेबल ट्रस्ट एक्ट पृथक रूप से पंजीकृत प्रमाणपत्र की एक प्रति ।

ग. संगठन की प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम तथा विवरण। (अनुबंध -III)

घ. संगठन की नियमावली, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की एक प्रति।

ड़. विगत वर्षों के प्रमाणित लेखा-परीक्षित लेखों तथा वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (संगठन की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को दर्शाते हुये)। इस योजना के तहत पहली बार सहायता -अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के मामले में, पिछले तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित लेखों और वार्षिक रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।

च. योजना के अंतर्गत पहले से ही सहायता अनुदान प्राप्त कर रही कार्यान्वयन एजेसिंयों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) /एडिप वेब पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची और अन्य विवरण अपलोड करना होगा। कार्यान्वयन एजेंसियां इस योजना के तहत सहायता अनुदान के माध्यम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सूची (अनुबंध - IV में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार) मांग पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भी उपलब्ध कराएंगी।

छ. कार्यान्वयन एजेंसी को एक वेबसाईट भी बनाए रखनी होगी और प्राप्त, उपयोग किए गए अनुदान के ब्यौरे और लाभार्थियों की सूची अनुबंध - IV में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपलोड करना होगा।

ज. अनुबंध -V के अनुसार उपयोग प्रमाण पत्र दिया जाए।

झ. कार्यान्वयन एजेंसियां उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों का एक वर्ष नि:शुल्क रखरखाव प्रदान करेंगी।

ञ. यदि संगठन में नियमित आधार पर 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो संगठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एससी/एसटी/ ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करेगा।

ट. एनजीओ/वीओ के ट्रस्टी/सदस्यों के पैन और आधार नंबर का विवरण ।

12.0 <u>अनुशंसा</u>

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थान/ मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को अपनी अनुशंसा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजनी है। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थान और एलिम्को/सीआरसी और अन्य संगठनों के मामले में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

13.0 <u>सहायता-अनुदान की स्वीकृति/रिलीज</u>

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत संगठनों को छोड़कर, राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थान/दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों को किसी विशेष वित्तीय वर्ष में सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाएगा ।
बाद में वित्तीय सहायता, निर्धारित उपयोग प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित कागजात प्राप्त होने के बाद स्वीकृत की जाएगी।

13.1 अनुशंसा करने वाला प्राधिकारी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान के उपयोग के संबंध में लाभार्थियों का प्रतिदर्श जांच आयोजित करेगा। प्रतिदर्श जांच में कम से कम 15 प्रतिशत (10.00 लाख रुपये तक के सहायतानुदान के मामले में) और 10 प्रतिशत (10.00 लाख रुपये से अधिक -सहायता अनुदान के मामले में) शामिल होंगे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ ब्लॉक/ तहसील के डॉक्टर/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ एसडीओ/ बीडीओ/ एसडीओ स्तर के अधिकारी या समाज कल्याण अधिकारी/ जिला दिव्यांगता अधिकारी/ समाज कल्याण का प्रभार संभालने वाला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी परीक्षा जांच प्राधिकारी हो सकता है। उपरोक्त अधिकारी एनआई और एलिम्को के संबंध में भी परीक्षण जांच प्राधिकारी होंगे । तथापि, एनआई/सीआरसी/आरसी के मामले में परीक्षण जांच किसी अन्य एनआई से अधिकृत अधिकारी द्वारा भी की जा सकती है ।

13.2 यदि अनुदान 10 लाख रुपये से कम है तो, अनुदान सहायता सामान्य रूप से एक किस्त में जारी की जाएगी। हालांकि, यह सीमा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से आयोजित विशेष शिविरों के लिए लागू नहीं होगी। पहली और दूसरी किस्त की मात्रा सामान्य वित्तीय नियमावली के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से विभाग द्वारा तय की जाएगी ।

13.3 कार्यान्वयन एजेंसियां जागरूकता, मूल्यांकन, वितरण और अनुवर्ती (फोलो-अप) शिविरों के संचालन के लिए प्रशासनिक/उपरिव्यय (ओवरहेड खर्चों) के रूप में सहायता अनुदान का 5% उपयोग करेंगी। मेगा शिविरों के लिए, जहां लाभार्थियों की संख्या 1000 और उससे अधिक है, और शिविरों में

कैबिनेट/ राज्य मंत्री (एसजेएंडई)/ मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, वहां इस योजना के तहत अतिरिक्त 5% प्रशासनिक व्यय की अनुमति होगी।

14.0 सहायता के लिए शर्तें

i. कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थियों की मासिक आय के संबंध में संबंधित सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी।

ii. कार्यान्वयन एजेंसी योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के बारे में निर्धारित प्रपत्र **(अनुबंध-VI)** में एक रजिस्टर बनाए रखेगी।

iii. कार्यान्वयन एजेंसी इस योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त और उपयोग की गई निधि का एक अलग खाता बनाए रखेगी। इस निधि को एक अलग बचत बैंक खाते में रखा जाना चाहिए, जिसे एडिप योजना के तहत विधिवत रूप से सी.ए. द्वारा प्रमाणित किए जाने पर संचालित किया जाना चाहिए ।

iv. कार्यान्वयन एजेंसी के प्रमुख से इस आशय का प्रमाण पत्र कि निधियों का उपयोग किया गया है। अनुबंध-IV में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार मंत्रालय द्वारा दी गई निधि से संगठन द्वारा सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की एक सूची एक्सेल प्रोग्राम में सीडी में पैरा 11 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

v. एक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लेखे बिल और वाउचर के साथ वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह महीने के भीतर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षित खातों के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

vi. कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थी से एक अंडरटेकिंग लेगी कि उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य एजेंसी/स्रोत से ऐसी सहायता प्राप्त नहीं की है और वह इसे अपने सदाशयी (बोनाफाइड) उपयोग के लिए रखेगा। 12 साल से कम आयु के बच्चों के मामले में समय सीमा 1 वर्ष है।

vii. कार्यान्वयन एजेंसी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थानों/डीआरसी आदि द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

viii. जब भारत सरकार के पास यह मानने के कारण होंगे कि स्वीकृत की गई राशि का अनुमोदित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो यह राशि कार्यान्वयन एजेंसी से उपयुक्त ब्याज समेत वसूल की जाएगी और एजेंसी को आगे कोई सहायता नहीं दी जाएगी । मंत्रालय को ऐसे संगठन को ब्लैकलिस्ट करने और विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

ix. कार्यान्वयन एजेंसियों को इस योजना के तहत तब तक कोई दायित्व नहीं उठाना पड़ेगा, जब तक उन्हें निधि स्वीकृत न की गई हो, सिवाय किसी कार्यान्वयन एजेंसी के मामले में जिसने उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पूर्व अनुमोदन के साथ एजेंसी द्वारा लिए गए ऋण के स्थान पर अनुमोदित सहायक यंत्रों और उपकरणों (योजना के तहत मानदंडों/लागत सीमा के अनुसार) का वितरण किया है । विभाग उक्त ऋण राशि पर ब्याज का बोझ वहन नहीं करेगा।

x. सरकारी मानदंडों के अनुसार इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है तथा समस्त लाभार्थियों का कम से कम 25 प्रतिशत बालिका/महिला होंगी।

xi. सभी शिविरों में योजना और उसके तहत प्राप्त सहायता का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा। आयोजित शिविरों की तस्वीरें कार्यान्वयन एजेंसी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएंगी।

xii. संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के बैनर तले जिलों में इस योजना को निर्धारित तरीके से तथा व्यापक प्रचार करके और जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, स्थानीय सांसद और विधायक को अपेक्षित जानकारी देने के बाद लागू करेगी ।

xiii. जिला प्रशासन/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के प्रतिनिधियों का शिविरों से जुड़ना आवश्यक है।

xiv. पंचायती राज संस्थाओं/ नगर पालिकाओं/ जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम आदि से प्रमुख व्यक्तियों, स्थानीय बीडीओ को शिविर में आमंत्रित किया जाए।

xv. स्थानीय मीडियाकर्मियों को भी शिविरों में आमंत्रित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित शिविरों के बारे में पर्याप्त प्रचार व जानकारी स्थानीय मीडिया में दी जानी चाहिए।

xvi. जारी किए गए प्रमाण पत्र का विस्तृत अभिलेख, शिविर से जुड़े व्यक्तियों, लाभार्थियों के फोटो के साथ नाम और पते संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुरक्षित रखा जाना चाहिए। फोटो में लाभार्थी को फिट किये गए अथवा उसके द्वारा प्राप्त सहायक यंत्रों और उपकरणों के साथ दर्शाया जाना चाहिए ।

xvii. सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने कार्यालयों और शिविरों में साइनबोर्ड, बैनर आदि प्रमुखता से इस स्वीकारोक्ति के साथ लगाने चाहिए कि यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से चलाई जाती है। मंत्रालय का नाम व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल आदि के पीछे भी चित्रित किया जाएगा।

xviii. इस सहायता अनुदान के साथ सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए आयोजित किए गए शिविर/समारोह के फोटोग्राफ और वितरण कार्य शुरू करने के लिए शिविरों के आयोजन के संबंध में प्रेस-क्लिप्पिंग, पोस्टर, पर्चे आदि भी एडिप योजना के तहत अनुदान जारी करने के प्रस्ताव के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाने चाहिए।

xix. जहां लागू हो, अनुदान जारी होने से पहले, कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्यकारी समिति के सदस्य एक निर्धारित प्रारूप में बांड निष्पादित करेंगे जिसमें वे स्वयं संयुक्त रूप से और पृथक रूप से निम्नलिखित के लिए बाध्य होंगे :-

(क) लक्ष्य तिथियों तक उसमें निर्दिष्ट सहायता अनुदान की शर्तों, यदि कोई हो, का पालन करेंगे; और

(ख) ना तो अनुदान को डायवर्ट करेंगे ना ही योजना या किसी अन्य संस्थानों या संगठनों को संबंधित काम का निष्पादन सौंपेंगे; और

(ग) सहायता अनुदान को विनियमित करने वाले समझौते में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों का पालन करेंगे ।

xx. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शर्तों का पालन करने में विफल रहने या बांड की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, बांड पर हस्ताक्षर करने वाले संयुक्त रूप से और पृथक रूप से, अनुदान की पूरी या उसके किसी अंश राशि पर या बांड के तहत निर्दिष्ट राशि पर दस प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ भारत के राष्ट्रपति को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे । इस बांड के लिए स्टांप ड्यूटी सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

xxi. जीएफआर, 2017 के नियम 238 (6) के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों को अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नौ महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए ।

xxii. संगठन को जीएफआर, 2017 के नियम 230 के प्रावधान के अनुसार सभी संवितरण/भुगतान ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से ई-पेमेंट/आरटीजीएस के द्वारा करना होगा ।

xxiii. जीएफआर, 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, इस सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज को भारत कोष में जमा या भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए विभाग को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

xxiv. सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को लाभार्थियों के सभी मूल दस्तावेज उपकरण वितरण के उपरान्त पाँच तक के लिए रखना होगा।

xxv. स्वीकृत अनुदान राशि से सभी प्रकार की खरीद जीएफआर, 2017 के प्रावधानों का पालन करते हुए की जाएगी।

15. <u>विविध</u>

XVth वित्तीय आयोग चक्र अवधि के बाद कोई प्रतिबद्ध दायित्व नहीं बनाया जाएगा.

अनुबंध-I

सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता हेतु आवेदन

प्रेषक: दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

विषय: सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप योजना) की केंद्रीय योजना के तहत सहायता।

मैं सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना के तहत वर्ष.....के लिए अनुदान के लिए एतदद्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूं। मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस योजना के नियमों और विनियमों को पढ़ा है और मैं प्रबंधन की ओर से उनका अनुपालन करने का वचन देता/देती हूं। मैं आगे निम्नलिखित शर्तों से सहमत हूं:

क. केंद्रीय अनुदान से पूर्ण या पर्याप्त रूप से प्राप्त सभी परिसंपत्तियों को जिन उद्देश्यों के लिए अनुदान दिया गया है, उनके अलावा अन्य उद्देश्य के लिए ऋणग्रस्त या निपटान या उपयोग नहीं किया जाएगा। संस्थान/संगठन का यदि किसी भी समय अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो ऐसी संपत्ति भारत सरकार को वापस आ जाएंगी।

ख. इस प्रकार दिए गए अनुदान के लेखों को उचित रूप से और एक अलग बचत खाते में अनुरक्षित रखा जाएगा। खाते हमेशा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए खुले रहेंगे। वे अपने विवेक से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण जांच के लिए भी खुले रहेंगे।

ग. यदि राज्य या केंद्र सरकार के पास यह मानने के कारण हैं कि अनुदान का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो भारत सरकार आगे की किश्तों का भुगतान बंद कर सकती है और पहले के अनुदानों की वसूली अपने द्वारा तय किये गए अनुसार कर सकती है।

घ. संस्थान इस योजना के कार्यान्वयन में युक्तिसंगत मितव्ययिता बरतेगा । स्वीकृत अनुदान राशि से सभी प्रकार की खरीद जीएफआर, 2017 के प्रावधानों का पालन करते हुए की जाएगी।

ड. संगठन सहायक यंत्रों/उपकरणों की फिटिंग करने या प्रदान करने से पहले, योजना के तहत लाभार्थियों से यथा आवश्यक एक अंडरटेकिंग लेगा। संस्वीकृति अनुदान सहायता के उपयोग में संगठन जीएफआर प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेगा।

च. यह संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जिलों में इस योजना को निर्धारित तरीके से और व्यापक प्रचार करके तथा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, राज्य सरकार, स्थानीय सांसद और विधायक को सूचना देने के बाद लागू करेगी ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

(कार्यालय की मोहर)

अनुबंध - II

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

योजना का नाम:

1. **संगठन**

नाम :

पता (कार्यालय) :

(परियोजना)

फोन (कार्यालय) :

(परियोजना)

ई-मेल (कार्यालय) :

(परियोजना)

वेबसाइट :

2. (i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत सोसायटियों की पंजीकरण की अभिप्रमाणित प्रति ।

(ii) पंजीकरण सं. और पंजीकरण की तारीख

3. विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत पंजीकरण : (हां/नहीं)

4. संस्था के बहिर्नियम और उप-नियम :

5. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची : **(अनुबंध -VII के अनुसार)**

(क) पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति
जिसमें बैलेंस शीट (रसीद और भुगतान खाते सहित),
आय और व्यय खाता शामिल होना चाहिए। :

(ख) पैन और आधार नंबर :
के साथ प्रबंधन बोर्ड/शासी निकाय के
सदस्यों का नाम और पता
(अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार)

6. गतिविधि का विवरण जिसके लिए :
सहायता अनुदान का आवेदन किया गया है (i) शिविर गतिविधि
(ii) मुख्यालय गतिविधि

7. निम्नलिखित प्रारूप में पिछले वर्ष के अनुदान से लाभार्थियों का विवरण।

(क) वितरित किए गए सहायक यंत्रों और उपकरणों की संख्या(सहायक यंत्र -वार सूची संलग्न करें)
(ख) कुल लाभार्थियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बालिका/महिला की संख्या (श्रेणीवार)
(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान शामिल होने वाले अपेक्षित दिव्यांगों की प्रस्तावित संख्या :-

8. उपलब्ध कर्मचारियों का विवरण :

9. निम्नलिखित की अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त जीआईए का विवरण-

राज्य सरकार .....
केंद्र सरकार .....
अन्य स्रोत .....

10. मैंने इस योजना को पढ़ा और इस योजना की आवश्यकता तथा शर्तों को पूरा करता/करती हूं। मैं इस योजना की सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता/देती हूं। मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि:

(क) निधि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

(ख) इस योजना के तहत मंत्रालय से प्राप्त निधि के लिए अलग से बचत बैंक खाता रखा जाएगा।

(ग) स्वीकृत अनुदान राशि से सभी प्रकार की खरीद जीएफआर, 2017 के प्रावधानों का पालन करते हुए की जाएगी।

(घ) यह संगठन, मांग होने पर, लाभार्थियों के साथ-साथ यंत्रों/उपकरणों के वितरणोपरान्त देखभाल भी प्रदान करेगा ।

(ड). उचित प्रमाणीकरण वाले सहायक उपकरण और सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

.....

.....

दिनांक.....

(मोहर).....

नोट: जहां कहीं भी लागू नहीं होता है, विशेष रूप से नए संगठन के मामले में, कृपया लिखें: लागू नहीं

<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</u>
<u>दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग</u>

योजना का नाम:

1. **दूसरी किस्त के लिए आवेदन पत्र**

संगठन

नाम :

पता (कार्यालय) :

(परियोजना)

फोन (कार्यालय) :

(परियोजना)

ई-मेल (कार्यालय) :

(परियोजना)

2. सहायता अनुदान (रुपये में)

क. वर्तमान वर्ष में आवेदित :

ख. पहली किस्त के रूप में प्राप्त :

ग. दूसरी किस्त के लिए आवेदित :

3. आवेदक संगठन को पहली किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।

(i) अनुदान की स्वीकृति मदों के अनुसार मदवार व्यय के साथ सीए द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र।

(ii) आरक्षण के अनुपालन के साथ लाभार्थियों का ब्यौरा।

(iii) संगठन द्वारा आवश्यक समझी गई कोई भी अन्य जानकारी या पूछी गई अन्य सूचना।

(iv) निर्धारित प्रोफार्मा में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित परीक्षण जांच रिपोर्ट।

(v) सहायक यंत्रों/उपकरणों के लिए खरीद का प्रमाण (बिल/वाउचर की प्रतियां कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विधिवत प्रमाणित कर संलग्न की जानी है)।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

.....

दिनांक.....

(मोहर).....

अनुबंध-III

सहायक यंत्रों /उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना)

प्रबंधन समिति की संरचना को दर्शाने वाला विवरण

संगठन का नाम और डाक पता :

_____

क्र.सं.	पैन नंबर और आधार नंबर के साथ प्रबंधन समिति के सदस्य का नाम	एस/ओ डी/ओ डब्ल्यू/ओ	फोन/मोबाइल नंबर के साथ पूरा आवासीय पता	व्यवसाय की प्रकृति	प्रबंधन समिति में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

नोट:

I. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रबंधन समिति का गठन संगठन के अनुमोदित उप-नियमों और संस्था के बहिर्नियम के अंतर्गत किया गया है।

II. यह प्रमाणित किया जाता है दिनांक ..... को आयोजित प्रबंध समिति की बैठक में सामान्य निकाय द्वारा उक्त समिति का निर्वाचन किया गया था। समिति की कार्यकाल की अवधि _____से_____तक है।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सचिव का नाम

संगठन का कार्यालय मोहर

अनुबंध-IV

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली और कार्यान्वयन एजेंसी की वेबसाइट पर अपलोड करने वाली सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की सूची (आधार नंबर को छोड़कर)।

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	पूरा पता	आयु	पुरुष/महिला	आय	सहायक यंत्रों का प्रकार (प्रदत्त)	जिस तारीख को दिया गया	फेब्रिकेशन/फिटमेंट शुल्क सहित सहायक यंत्रों की कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9

दी गई सब्सिडी	आउटस्टेशन वाले लाभार्थी को भुगतान की गई यात्रा लागत	भुगतान किया गया बोर्डिंग और आवास व्यय	क्या कोई सर्जिकल सुधार किया गया है	10+11+12+13 का योग	ठहराव के दिवसों की संख्या	क्या एस्कॉर्ट के साथ थे	आधार कार्ड नं. #	लाभार्थी की फोटो*	मोबाइल नं. या एसटीडी कोड के साथ दूरभाष नंबर **
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

लाभार्थियों को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा।

**लाभार्थी के मोबाइल नंबर या एसटीडी कोड के साथ दूरभाष नंबर अपलोड करना ताकि मंत्रालय को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थी को प्रदान किए गए सहायक यत्रों और उपकरणों के बारे में फीडबैक प्राप्त हो सके । यदि लाभार्थी के पास यह उपलब्ध नहीं है, तो लाभार्थी के रिश्तेदार/परिचित के मोबाइल नंबर या एसटीडी कोड के साथ दूरभाष नंबर अपलोड करना होगा।

आरक्षण के संबंध में विवरण अर्थात पुरुष/महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य लाभार्थी

अनुबंध -V

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना

उपयोग प्रमाण पत्र
जीएफआर 12 - क
[(नियम 238 देखें (1)]

उपयोग प्रमाण पत्र का प्रपत्र
अनुदेयी संगठन के स्वायत्त निकायों के लिए

आवर्ती/गैर-आवर्ती सहायता अनुदान/वेतन/पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन के संबंध में
.....वर्ष के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

1. योजना का नाम.....

2. आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान है.....

3. वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अनुदान की स्थिति

(i) हाथ/बैंक में नकद

(ii) असमायोजित अग्रिम

(iii) कुल

4. प्राप्त अनुदानों, व्यय और समापन शेष का विवरण: (वास्तविक)

प्राप्त अनुदानों की अव्ययित शेष राशि वर्ष [क्र.सं. 3(iii) में	उस पर अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्ध निधि (1+2+3+4)	किया गया व्यय	समापन शेष (5-6)

दिया गया आंकड़ा]								
			स्वीकृति संख्या (i)	दिनांक (ii)	राशि (iii)			

अनुदान का घटकवार उपयोग:

सहायता अनुदान सामान्य	सहायता अनुदान वेतन	पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन सहायता अनुदान	कुल

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

i. हाथ/बैंक में नकद
ii. असमायोजित अग्रिम
iii. कुल

प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, विधिवत पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और यह कि मैंने देखने के लिए कि पैसे वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था, निम्नलिखित जांच का प्रयोग किया है:

i. मुख्य लेखा और अन्य सहायक लेखा और रजिस्टर (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) संबंधित अधिनियम/नियम/स्थायी निर्देशों (अधिनियम/नियमों का उल्लेख करें) में निर्धारित रूप से अनुरक्षित रखे जाते हैं और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है । वित्तीय विवरणों/खातों में उल्लिखित लेखा परीक्षित आंकड़ों के साथ मिलान करके ऊपर आंकड़े दर्शाए गए ।
ii. सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय इनपुट के समक्ष भौतिक लक्ष्यों के आउटकम और उपलब्धियों को देखने, परिसंपत्ति सृजन आदि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों के आवधिक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है ।

iii. हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम/नियमों/स्थायी निर्देशों और योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

iv. योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियां स्पष्ट शब्दों में सौंपी गई हैं और सामान्य प्रकृति की नहीं हैं।

v. इसका लाभ अभीष्ट लाभार्थियों को दिया गया था और केवल ऐसे क्षेत्रों/जिलों को शामिल किया गया था जहां इस योजना का संचालन करना था।

vi. योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना के दिशा-निर्देशों और सहायता अनुदान के निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।

vii. यह सुनिश्चित किया गया है कि …….. (योजना का नाम) के तहत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है और उस वर्ष के लिए प्राप्त प्रदर्शन/लक्ष्यों का विवरण जिससे निधि के उपयोग के आउटकम अनुबंध – I पर विधिवत संलग्न किये गए।

viii. निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप आउटकम अनुबंध-II पर विधिवत संलग्न है (मंत्रालय/संबंधित विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना है)।

ix. एजेंसी द्वारा उसी मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता अनुदान-के माध्यम से निष्पादित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाना है) में संलग्न है।

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम.....	नाम.....
मुख्य वित्त अधिकारी	संगठन के प्रमुख
(वित्त के प्रमुख)	

(जो लागू नहीं हैं, उसे काट दें)

अनुबंध -VI

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा बनाए रखे जाने वाला रजिस्टर

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	पूरा पता संपर्क नं. के साथ	पुरुष/ महिला	आयु	आय	(प्रदान किये गये) सहायक यंत्रों का प्रकार	तारीख जिस दिन प्रदान की गई	सहायक यंत्रों की लागत	फेब्रिकेशन/ फिटमेंट शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सहायक यंत्रों की की लागत	दी गई सब्सिडी	आउटस्टेशन वाले लाभार्थी को भुगतान की गई यात्रा लागत	भुगतान किया गया बोर्ड और व्यय	क्या कोई सर्जिकल सुधार किया गया है	12+13+ 14+15 का योग	ठहराव के दिवसों की संख्या	लाभार्थी के हस्ताक्षर	क्या एस्कॉर्ट साथ थे	आधार संख्या
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

अनुबंध -VII

एडिप योजना के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों के प्रसंस्करण के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की सूची।

		राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिशों के साथ प्राप्त NGO/VOs/DDRCs /राज्य निगमों के प्रस्ताव		**राष्ट्रीय संस्थान / सीआरसी / एलिम्को**
S. No.	**दस्तावेज़ विवरण**	**नियमित प्रस्ताव**	**नवीन प्रस्ताव**	-
1.	निर्धारित प्रारूप में आवेदन (योजना में प्रदान की गई पहली किस्त के लिए निधि जारी करने के लिए **Annexure-I and Annexure-II)**	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक
2.	तकनीकी मूल्यांकन/निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशें।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं
3.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51/52 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं
4.	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या चैरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं
5.	मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन और संगठन के नियमों, लक्ष्य और उद्देश्यों की प्रतियां	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं
6.	प्रबंधन/प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं

7.	पिछले वर्ष के लिए संगठन की गतिविधि/वार्षिक रिपोर्ट	आवश्यक	आवश्यक **(पिछले तीन वर्षों के लिए)**	आवश्यक
8.	पिछले वर्षों के लिए बैलेंस शीट, आय और व्यय विवरण, और प्राप्ति और भुगतान खाते से युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट। **(समेकित और ADIP परियोजना- अलग अलग)**	आवश्यक	आवश्यक **(पिछले तीन वर्षों के लिए)**	आवश्यक
9.	परियोजना में लगे कर्मचारियों/कर्मचारियों की सूची, जिसमें संगठन द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का नाम, पद और श्रेणी (SC/ST/OBC) को दर्शाती है।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं
10.	परियोजनाओं को लागू करने के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का विवरण.	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं
11.	सहायक उपकरणों के वितरण/फिटिंग के लिए बजट अनुमान।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक
12.	एक वचनबद्धता कि धन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक
13.	योजना के तहत प्राप्त धनराशि का एक अलग बचत बैंक खाता बनाए रखने हेतु अंडरटेकिंग।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक
14.	पिछले वर्ष से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सूची	आवश्यक । संगठन की वेबसाइट के साथ-साथ एडिप एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया	लागू नहीं	लाभार्थियों की एक बड़ी सूची होने की आवश्यकता नहीं है। संगठन की वेबसाइट के साथ-साथ एडीआईपी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। मांग पर प्रस्तुत करना

		जाना है।		होगा।
15.	पिछले अनुदान से कवर किए गए लाभार्थियों की नमूना जांच रिपोर्ट की सूची(टेस्ट चेक रिपोर्ट)।	आवश्यक	लागू नहीं	आवश्यक
16.	लाभार्थियों को मांग पर वितरण के बाद देखभाल प्रदान करने के लिए एक अंडरटेकिंग।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक
17.	पिछले वर्ष स्वीकृत अनुदान के लिए निर्धारित प्रारूप में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सही स्वीकृति संख्या, खाता और स्वीकृति की तारीख को दर्शाया गया हो।	आवश्यक	आवश्यक नहीं	संगठन के लेखा अधिकारी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र। आवश्यक.
18.	प्रमाण पत्र और प्रमाण कि एडीआईपी योजना के तहत पिछले अनुदान से वितरित सहायता और उपकरण उचित प्रमाणन के थे।	आवश्यक	लागू नहीं	आवश्यक
19.	पिछले अनुदान के लिए सहायक वाउचर/बिलों की प्रमाणित प्रतियों के साथ खरीद का विवरण।	आवश्यक	लागू नहीं	आवश्यक नहीं **संगठन द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।**
20.	स्पष्ट खाते के साथ बांड/एजेंसी विवरण/बैंक खाते का विवरण। एकाउंट नंबर/RTGS/IFSC,PAN/TAN/TIN No.	आवश्यक	आवश्यक	Bond आवश्यक नहीं. Other documents आवश्यक.
21.	EAT मॉड्यूल का उपयोग करना	आवश्यक	आवश्यक प्रथम अनुदान के संवितरण के	आवश्यक

			बाद	
22.	नीति आयोग NGO दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं
23.	NGOs/VOs के नए मामलों के संबंध में विभाग की स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें	आवश्यक नहीं	आवश्यक NGOs/VOs के मामले में	आवश्यक नहीं

नोट:- एनजीओ/वीओ के नए मामलों में, एडिप योजना के तहत सहायता अनुदान के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से पहले विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश की आवश्यकता होती है। सरकारी संगठनों के मामले में, जैसे जिला कलेक्टर (डीएमटी) की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन टीम द्वारा सीधे चलाए जा रहे डीडीआरसी /राज्य सरकार/ के नियंत्रण में कार्यरत निगम एवं विभाग के नियंत्रण में कार्यरत निगम एलिम्को/एनआई/सीआरसी को स्क्रीनिंग कमेटी की किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।